हज तीर्थयात्री

23. श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष 65,500 मुसलमानों को हज की तीर्थ-यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट को देखते हुए खर्च की गई विदेशी मुद्रा न्यायोचित थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा को बड़ी राशि के खर्च किये जाने को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) पिछली हज यात्रा के लिए भारत से 15,530 व्यक्ति गए थे ।

(ख) 2,39,40,000 रुपए ।

(ग) और (घ). पिछली हज यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा खर्च की सीमा नियत करते समय सरकार ने विदेश मुद्रा स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखा था ।

सेवा मुक्त होने पर गैर-कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को असैनिक विभागों में लगाना

24. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी को जब वह एक सिविल विभाग में सेवा प्राप्त करता है तो उसके पद के समान पद की पेशकश नहीं की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा से उसकी उन्मुक्ति के तुरन्त पश्चात् उसको सिविल विभाग में सेवा की पेशकश नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या एक भूतपूर्व सैनिक को नियोजन के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उसके लिये स्थान रक्षित करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़ कर व्यक्तियों को सेवा से विमुक्ति पर, अगर वह कामदिलाऊ कार्यालयों में रजिस्टर्ड हों, उन्हें सूचित की गई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थानों में उपयुक्त, नियुक्तियों की पेशकश की जाती है, इसमें उनकी अर्हताओं और अनुभव का पूरा ध्यान रखा जाता है । सेवा से विमुक्ति और किसी असैनिक विभाग में पुनर्नियुक्ति के बीच अवधि से छुटकारा पाना संभव नहीं है ।

(ग) से (ङ). काम पर लगाने वालों द्वारा सूचित किए गए रिक्त स्थानों

के लिए काम दिलाऊ कार्यालयों में नामांकन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय प्राथमिकता दी जाती है ; पहली प्राथमिकता वाले अर्थात छांटी किए गए अथवा आर्थिक यूनिट की सिफारिशों पर फालतू घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, और द्वितीय प्राथमिकता के अर्थात उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त, सिंध और बलोचिस्तान सरकारों के विस्थापित कर्मचारी अब लगभग समाप्त हैं । इसलिए कार्यरूप से तृतीय प्राथमिकता इस समय सब से उच्च प्राथमिकता है, और इसका भूतपूर्व सैनिक छांटी किए गए असैनिक कर्मचारियों समेत (जो आर्थिक यूनिट की सिफारिशों से अन्यथा छांटी किए हैं) और सेविवर्ग की कई अन्य निम्न श्रेणियों के साथ लाभ उठा रहे हैं । तृतीय प्राथमिकता में भी भूतपूर्व सैनिकों का कई विशिष्ट कामों के लिए, जैसे कि वाच एण्ड वार्ड इत्यादि में विशेष प्राथमिकता दी जाती है । जिन में सैनिक अनुभव वाछनीय अर्हता होती है । भूतपूर्व सैनिकों को अपनी सेवा से विमुक्ति से 6 मास पहले अपनी पसन्द के कामदिलाऊ कार्यालय में नाम रजिस्टर करने की भी अनुमति दी जाती है । 1-7-66 से तृतीय श्रेणी के 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान सर्वप्रथम 2 वर्ष के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं । राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि अपने विभागों में वह भी वैसे सुरक्षण रखें ।

राज्यों के लिये रेडियो सेटों का नियतन

25. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बृजेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री स० प्रधानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को 31 मार्च, 1967 तक कितने रेडियो सेट दिये गये और उनकी कीमत क्या है और वे रेडियो सेट किस आधार पर दिये गये ;

(ख) ये रेडियो सेट किस उद्देश्य से दिये गये हैं ; और

(ग) इनमें से कितने रेडियो सेट इस समय ठीक हालत में चल रहे हैं और जो खराब हो गये हैं उनकी मरम्मत के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) पंचायत रेडियो योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 तक विभिन्न राज्यों को 1,19,425 रेडियो सेट दिए गए । इस अवधि में 5,122 रेडियो सेट केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को दिये गये ।

पिछले 12 वर्षों में पंचायती रेडियो सेटों का मूल्य, जिसमें लाउडस्पीकर, एरियल तथा बैटरियां भी शामिल हैं, 250 रुपये से लेकर 400 रुपये तक रहा है । वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :—

1. बिजली चालित	344.00 प्रति
2. वाल्व वाले, बैटरी चालित	332.00 प्रति
3. ट्रान्जिस्टर	412.00 प्रति

प्रत्येक राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र की जरूरतें हर वर्ष मालूम कर ली जाती हैं और धन की उपलब्धि के अनुसार रेडियो सेटों का इस हिसाब से बंटवारा किया जाता है कि प्रत्येक राज्य में कितने गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी रेडियो सेट लगाना है ।

(ख) आयोजित प्रचार योजना के अन्तर्गत गांव में लगाने के लिए पंचायती रेडियो सेट बांटे जाते हैं ।